प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिलाः **A.C.B O.P. Alwar-1st, Alwar** थानाः **C.P.S, A.C.B. Jaipur** वर्ष 2023

प्र.ई.रि.सं.....117/2023 दिनांक 12/5/2023

2.–(1) अधिनियमः भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारा ..... **7, 7 ए**

(2) अधिनियमः भारतीय दण्ड संहिता धारा.....

(3) अधिनियम..... धारायें.....

(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.....252.....समय.....5:35P.M.

(ब) अपराध के घटने का दिनः गुरूवार दिनांक 11/05/2023, समय 11.15 ए.एम.

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – बुधवार दिनांक 10/05/2023, समय 09.00 ए.एम.

4.–सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित

5–घटनास्थल :

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः पूर्व दूरी करीब 60 किमी., ए.सी.बी., चौकी अलवर सें

(ब) पताः– प्राईवेट किराये का कार्यालय नाईवाडा कॉलोनी टपुकडा, **जिला अलवर (राज.)।**

बीट संख्या ..... जरायमदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं, तों पुलिस थाना .....जिला.....

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम :– श्री आकाश गोयल (ब) पिता का नाम :– श्री सुरेन्द्र कुमार गोयल

(स) जन्म तिथि :– उम्र 37 साल (द) राष्ट्रीयता :– भारतीय

(य)पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह

(र)व्यवसायः–

(ल)पताः– निवासी टपूकडा, पुलिस थाना टपुकडा, जिला अलवर

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1– श्री मुन्नासिंह पुत्र श्री जयलाल सिंह, जाति अहीर, उम्र 35 साल, निवासी मतलवास, तहसील कोटकासीम, जिला अलवर हाल पटवारी हल्का मायापुर, तह. टपूकडा जिला अलवर (राज.)

2– श्री रमन यादव पुत्र श्री होशियार सिंह निवासी राठीवास (हरियाणा) हाल आबाद 704 क्रिश वाटिका, पावर हाऊस के पास, अलवर बाईपास भिवाडी, जिला अलवर मोबा. 6377979187 / 916377979187/7014612734 (प्राईवेट व्यक्ति)

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– .....

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):–

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्यः– 30,000/–रूपयें ट्रेप राशि

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो).....

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 10.05.2023 को समय 9.00 ए.एम. पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर पर श्री आकाश गोयल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गोयल, जाति महाजन, उम्र 37 साल, निवासी टपूकडा, जिला अलवर ने उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया था कि " सेवामे, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर । विषय– हल्का पटवारी मायापुर मुन्नालाल को रिश्वत न देकर रंगे हाथ पकडवाने के क्रम मे। मोहदय उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मै आकाश गोयल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गोयल, उम्र 37 साल, जाती महाजन, निवासी टपूकडा का रहने वाला हूं। मैने व मेरे दोस्त भुवनेश कुमार गर्ग पुत्र श्री नरेन्द्र गर्ग, उम्र 36 साल, जाती महाजन निवासी टपूकडा ने मिलकर हल्का मायापुर में 2 बीघा जमीन क्रय की थी। जिसकी रजिस्ट्री हमने हमारे नाम करवा ली थी। उक्त रजिस्ट्री शुदा जमीन का इन्तकाल हम दोनो साथियों के नाम इनतकाल खोलने के बदले मे हल्का पटवारी मायापुर तह. टपुकडा पटवारी मुन्ना लाल मेरे से 15000/– रूपये रिश्वत मांग रहा है। मै उक्त पटवारी को रिश्वत न देकर रंगे हाथ रिश्वत देते हुये पकडवाना चाहता हूँ। अतः श्रीमान से निवेदन है की कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। धन्यवाद प्रार्थी – हस्ताक्षर – आकाश गोयल S/O श्री सुरेन्द्र कुमार गोयल, उम्र 37 साल, जाति महाजन, निवासी टपूकडा, जिला अलवर MOB 9772655259 10/5/2023" जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री आकाश गोयल ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि मैंने व मेरे दोस्त श्री भुवनेश कुमार गर्ग पुत्र श्री नरेन्द्र गर्ग, निवासी टपूकडा ने मिलकर गॉव दांगाहेडी व मायापुर में 2 बीघा कृषि भूमि कय की थी, जिसकी रजिस्ट्री हमने दिनांक 05.04.2023 को उप पंजीयक कार्यालय भिवाडी में हमारे नाम से करवा ली थी। हमारे द्वारा कय की गई उक्त रजिस्ट्रीशुदा जमीन का नामान्तकरण मेरे व मेरे दोस्त श्री भुवनेश कुमार गर्ग के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु मैंने उक्त जमीन की दो मूल रजिस्ट्रीयॉ नामान्तकरण खोलने के लिये करीब 15 दिन पूर्व पटवार हल्का मायापुर के पटवारी श्री मुन्ना लाल को दे दिया था। इसके बाद मैं पटवारी हल्का

मायापुर से टपूकडा स्थित उसके किराये के कार्यालय/कमरे पर दो–तीन बार मिला, किन्तु श्री मुन्ना लाल पटवारी हमारा नामान्तकरण नही खोल रहा है तथा हमारा नामान्तकरण खुलवाने के लिये अपने दलाल श्री रमन यादव से मिलने एवं उससे बात करने के लिये कहता है तथा हमारा नामान्तकरण खोलने की एवज में 15,000 रू0 रिश्वत की मांग स्वयं के लिये कर रहा है और मेरे से कानूनगो व तहसीलदार के लिये अलग से रिश्वत राशि देने के लिये कह रहा है। मैं हमारे जायज काम नामान्तकरण खोलने की एवज में श्री मुन्ना लाल, पटवारी, पटवार हल्का मायापुर, तहसील टपूकडा, जिला अलवर को रिश्वत नही देकर, उसे रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। परिवादी ने यह भी बताया कि मेरी श्री मुन्ना लाल, पटवारी, पटवार हल्का मायापुर, तहसील टपूकडा, जिला अलवर से कोई रजिंश या दुश्मनी नही है और ना ही कोई उधार का लेन–देन बकाया है। परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं के द्वारा लिखा जाना तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा दौराने पूछताछ परिवादी ने अपने व अपने दोस्त भुवनेश कुमार गर्ग के नाम से ग्राम दांगाहेडी व मायापुर में क्रय की गई जमीन की रजिस्ट्रीयों की छायाप्रतियॉ एवं अपने आधार कार्ड की छायाप्रति स्वयं के हस्ताक्षरशुदा प्रस्तुत किया, जिन्हे बाद अवलोकन संलग्न पत्रावली किया गया तथा परिवादी ने यह भी बताया कि हमारी ग्राम मायापुर में क्रयशुदा उक्त भूमि को बैंकों के नाम से पूर्व काश्तकारों के नाम रहन फक करने हेतु पंजाब नेशनल बैक चौपानकी द्वारा दिनांक 22.03.2023 को जारी दो नो डयूज प्रमाण पत्र एवं एस.बी.आई. टपूकडा द्वारा दिनांक 27.03.2023 को जारी एक नो डयूज प्रमाण पत्र एवं उनसे सम्बन्धित दस्तावेजों को भी मैं आज पटवारी हल्का मायापुर को रहनफक करने हेतु दूंगा। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं उस पर की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन–देन का पाया जाता है। अतः रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। उक्त सम्बन्ध में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर को अवगत करवाया जाकर आवश्यक निर्देश प्राप्त किये गये। तत्पश्चात समय 10.00 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मैंक सोनी कम्पनी निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया खाली एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगाकर परिवादी श्री आकाश गोयल को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादी के समक्ष श्री महेश कुमार कानि0 462 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी एवं श्री महेश कुमार कानि. 462 को आवश्यक हिदायत देकर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु रवाना किया गया।

दिनांक 10.05.2023 को समय 06.00 पी.एम. परिवादी के हमराह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु गया हुआ श्री महेश कुमार कानि0 462 कार्यालय में उपस्थित आया तथा श्री महेश कुमार कानि0 462 ने रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत कर बताया कि मैं व परिवादी श्री आकाश गोयल, ब्यूरों कार्यालय अलवर से परिवादी की कार से रवाना होकर कस्बा टपूकडा, नाईवाडा में स्थित श्री मुन्ना लाल, पटवारी, पटवार हल्का मायापुर के किराये के कार्यालय के पास पहुंचे, जहॉ पर मैंने समय करीब 01.06 पी0एम0 पर परिवादी को ए0सी0बी0 का टेपरिकार्डर चालू कर दिया, जिसको परिवादी अपने साथ लेकर आरोपी, श्री मुन्ना लाल, पटवारी के किराये के कार्यालय/कमरे पर गया तो आरोपी पटवारी श्री मुन्ना लाल के किराये के कार्यालय /कमरे के सामने पूर्व से ही एक व्यक्ति खडा हुआ था, जिससे परिवादी आपस में बातचीत करने लग गया तथा कुछ समय बाद परिवादी और वह व्यक्ति श्री मुन्ना लाल, पटवारी, पटवार हल्का मायापुर के किराये के कार्यालय/कमरे के अन्दर चले गये और मैं पटवारी मायापुर के उक्त किराये के कार्यालय के सामने स्थित भारद्वाज चिकित्सालय के पास खडा हो गया। परिवादी जिस कार्यालय / कमरे के अन्दर गया था, उसके गेट पर सफेद कागज पर कम्प्यूटर से पटवारी मायापुर लिखा था। समय करीब 40–41 मिनट बाद परिवादी व परिवादी के साथ आरोपी पटवारी के कार्यालय/कमरे में अन्दर गया व्यक्ति आरोपी पटवारी के कार्यालय/कमरे से निकलकर बाहर आये और वह व्यक्ति तो अपनी कार से चला गया तथा परिवादी आकाश गोयल मेरे पास आया और उसने अपने पास से ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर निकालकर मुझे दिया, जिसको मैंने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। तत्पश्चात परिवादी श्री आकाश गोयल ने मुझे बताया कि " मैं आपसे ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर अपने साथ लेकर श्री मुन्ना लाल, पटवारी के किराये के कार्यालय/कमरे पर गया तो मुझे पटवारी के कार्यालय के सामने पूर्व से ही श्री मुन्ना लाल, पटवारी का दलाल श्री रमन यादव मौजूद मिला, जिससे मैंने बातचीत की तो श्री रमन यादव दलाल ने श्री मुन्ना लाल पटवारी पटवार हल्का मायापुर के लिये हमारे नामान्तकरण खोलने के लिये 10 हजार रू0 तहसीलदार के लिये, 5 हजार रू0 कानूनगो के लिये व 15 हजार रू0 पटवारी के लिये इस प्रकार कुल 30 हजार रू0 रिश्वत के पटवारी श्री मुन्ना लाल को देने के लिये कहा। इसके बाद मैं व श्री रमन यादव दलाल, श्री मुन्ना लाल, पटवारी के किराये के कार्यालय/कमरे के अन्दर गये तो श्री मुन्ना लाल पटवारी मुझे अपने कार्यालय में मौजूद मिले, जिनसे मैंने श्री रमन यादव दलाल की मौजूदगी में हमारे इन्तकालों के बारे में बातचीत की तो आरोपी श्री मुन्ना लाल पटवारी ने मेरे से 10 हजार रू0 तहसीलदार के लिये, 05 हजार रू0 कानूनगो के लिये एवं 15 हजार रू0 अपने स्वयं के लिये इस प्रकार कुल 30 हजार रू0 रिश्वत की मांग की और रिश्वत की राशि 30 हजार रू0 दिनांक 11.05.2023 को देने के लिये कहा है।

मेरे, श्री रमन यादव दलाल व श्री मुन्ना लाल पटवारी पटवार हल्का मायापुर के मध्य आपस में रिश्वत मांग सम्बन्धी जो वार्ता हुई है, उन सभी वार्तालापों को मैंने ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। परिवादी ने यह भी बताया कि उसके पास अभी रिश्वत राशि 30 हजार रू0 की व्यवस्था नही है तथा उसे आज टपूकडा ही रूककर रिश्वत राशि 30 हजार रू0 की व्यवस्था करनी है। इसलिए वह आज ब्यूरों कार्यालय अलवर नही चल सकता तथा रिश्वत राशि 30 हजार रू0 की व्यवस्था करके मैं दिनांक 11.05.2023 को प्रातः 08.00 ए0एम0 तक ब्यूरों कार्यालय अलवर में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हो जाउंगा।'' इस पर मैं परिवादी को टपूकडा ही छोडकर वहा से रवाना होकर ब्यूरों कार्यालय में आ गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने श्री महेश कुमार कानि0 द्वारा सुपुर्द टेपरिकार्डर को चलाकर सुना तो उक्त में रिश्वत मांग सम्बन्धी उक्त तथ्य रिकार्ड होना तथा रिश्वत मांग का सत्यापन होना पाया गया तथा श्री महेश कुमार कानि0 द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई तथा रिश्वत मांग का सत्यापन होना पाया गया। उक्त रिकार्डशुदा वार्ताओं की आइन्दा परिवादी के ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आने पर दो स्वतन्त्र गवाहान की तलबी कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं सी.डी. तैयार करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने उक्त वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी के लॉक में सुरक्षित रखा गया। अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने के कारण मन पुलिस निरीक्षक ने अधीक्षण अभियन्ता (पवस), जयपुर डिस्कॉम, अलवर को कार्यालय पत्र जारी करवाकर दो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी, स्वतन्त्र गवाह दिनांक 11.05.2023 को प्रातः 07.30 ए0एम0 पर उपलब्ध करवाने हेतु तथा साथ ही श्री रामजीत कानि0 206 ए0सी0बी0 चौकी अलवर द्वितीय अलवर को कार्यवाही में इमदाद हेतु दिनांक 11.05.2023 को प्रातः 07.30 ए0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय अलवर प्रथम अलवर पर भिजवाने हेतु उप अधीक्षक पुलिस, एसीबी द्वितीय अलवर को निवेदन किया गया।

दिनांक 11.05.2023 को समय 07.30 ए.एम. पर पाबन्दशुदा गवाह श्री बाबूलाल, इलेक्ट्रीशियन –प्रथम एवं श्री हेमन्त कुमार सैनी, इलेक्ट्रीशियन –द्वितीय, कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) ए–तृतीय, जयपुर डिस्कॉम, अलवर, कार्यालय में उपस्थित आये। साथ ही तलबशुदा श्री रामजीत कानि0 209 ए0सी0बी0 चौकी अलवर द्वितीय, अलवर से कार्यालय में उपस्थित आये। समय 08.00 ए0एम0 पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री आकाश गोयल, ए0सी0बी0 कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि दिनांक 10.05.2023 को समय करीब 10.00 ए0एम0 पर मैं व आपका कर्मचारी श्री महेश कुमार कानि0 ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर से मेरी कार से रवाना होकर कस्बा टपूकडा, नाईवाडा में स्थित श्री मुन्ना लाल, पटवारी, पटवार हल्का मायापुर के किराये के कार्यालय के पास पहुंचे, जहॉ पर श्री महेश कुमार कानि0 ने समय करीब 01.06 पी0एम0 पर मेरे को ए0सी0बी0 का टेपरिकार्डर चालू कर दिया, जिसको मैं अपने साथ लेकर आरोपी, श्री मुन्ना लाल, पटवारी के किराये के कार्यालय/कमरे पर गया तो मुझे पटवारी के कार्यालय के सामने पूर्व से ही श्री मुन्ना लाल, पटवारी का दलाल श्री रमन यादव मौजूद मिला, जिससे मैंने बातचीत की तो श्री रमन यादव दलाल ने श्री मुन्ना लाल पटवारी, पटवार हल्का मायापुर के लिये हमारे नामान्तकरण खोलने के लिये 10 हजार रू0 तहसीलदार के लिये, 5 हजार रू0 कानूनगो के लिये व 15 हजार रू0 पटवारी के लिये इस प्रकार कुल 30 हजार रू0 रिश्वत के पटवारी श्री मुन्ना लाल को देने के लिये कहा। इसके बाद मैं व श्री रमन यादव दलाल, श्री मुन्ना लाल, पटवारी के किराये के कार्यालय/कमरे के अन्दर गये तो श्री मुन्ना लाल पटवारी मुझे अपने कार्यालय में मौजूद मिले, जिनसे मैंने श्री रमन यादव दलाल की मौजूदगी में मैंने श्री मुन्ना लाल पटवारी को हमारी ग्राम मायापुर में क्रयशुदा भूमि को बैंकों के नाम से पूर्व काश्तकारों के नाम रहनफक करने हेतु पंजाब नेशनल बैक चौपानकी द्वारा दिनांक 22.03.2023 को जारी दो नोडयूज प्रमाण पत्र एवं एस0बी0आई0 टपूकडा द्वारा दिनांक 27.03.2023 को जारी एक नोडयूज प्रमाण पत्र एवं उनसे सम्बन्धित दस्तावेज दिया और हमारे इन्तकालों के बारे में बातचीत की तो आरोपी श्री मुन्ना लाल पटवारी ने मेरे से 10 हजार रू0 तहसीलदार के लिये, 05 हजार रू0 कानूनगो के लिये एवं 15 हजार रू0 अपने स्वयं के लिये इस प्रकार कुल 30 हजार रू0 रिश्वत की मांग की और रिश्वत की राशि 30 हजार रू0 आज दिनांक 11.05.2023 को देने के लिये कहा है। मेरे, श्री रमन यादव दलाल व श्री मुन्ना लाल पटवारी पटवार हल्का मायापुर के मध्य आपस में रिश्वत मांग सम्बन्धी जो वार्ता हुई है, उन सभी वार्तालापों को मैंने ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। इसके बाद समय करीब 40–41 मिनट बाद मैं व श्री रमन यादव दलाल, श्री मुन्ना लाल, पटवारी के किराये के कार्यालय/कमरे से निकलकर बाहर आये। श्री रमन यादव, दलाल अपनी गाडी से चला गया और मैं श्री महेश कुमार कानि0 आकर ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर श्री महेश कुमार कानि0 को दे दिया था, जिसको श्री महेश कुमार कानि0 ने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था और मैंने उपरोक्त सभी तथ्य श्री महेश कुमार कानि0 को बता दिये थे। मैंने महेश कुमार कानि0 को यह भी बताया था कि मुझे टपूकडा ही रूककर रिश्वत राशि 30 हजार रू0 की व्यवस्था करनी है। इस पर श्री महेश कुमार कानि0 मुझे टपूकडा ही छोडकर अलवर के लिये रवाना हो गया था और मैं टपूकडा ही रूक गया था। अग्रिम कार्यवाही हेतु आज मैं संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 30,000 रू0 अपने साथ लेकर आया हूँ। परिवादी को कार्यालय कक्ष में ही बैठाया गया। तत्पश्चात समय 08.20 ए0एम0 पर परिवादी

श्री आकाश गोयल का परिचय कार्यालय में पूर्व से मौजूद दोनों गवाहान श्री बाबूलाल, इलेक्ट्रीशियन–प्रथम एवं श्री हेमन्त कुमार सैनी, इलेक्ट्रीशियन–द्वितीय, कार्यालय सहायक अभियन्ता(पवस) ए–तृतीय, जयपुर डिस्कॉम, अलवर से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री आकाश गोयल द्वारा दिनांक 10.05.2023 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 10.05.2023 को समय 09.00 ए0एम0 पर परिवादी से दरियाफ्त कर अंकित की गई कार्यवाही पुलिस को पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने सुन समझकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री आकाश गोयल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

दिनांक 11.05.2023 को समय 08.30 ए.एम. पर उक्त दोनो गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में परिवादी आकाश गोयल तथा संदिग्ध आरोपी श्री मुन्ना लाल, पटवारी, पटवार हल्का मायापुर, तहसील टपूकडा, जिला अलवर एवं श्री रमन यादव दलाल के मध्य दिनांक 10.05.2023 को रिश्वती मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मैक सोनी कम्पनी को कार्यालय की आलमारी के लॉक से बाहर निकालकर उसे चालू कर उसमे रिकार्डशुदा वार्ताओं में रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ताओं के मुख्य अंश सुनाये गये, जिसमें आरोपी श्री मुन्ना लाल, पटवारी, पटवार हल्का मायापुर, तहसील टपूकडा, जिला अलवर एवं श्री रमन यादव दलाल द्वारा परिवादी से 30 हजार रू0 रिश्वत की मांग करना तथा उक्त 30 हजार रू0 की राशि में से 10 हजार रू0 तहसीलदार को देने, 05 हजार रू0 कानूनगो को देने तथा शेष अपने 15,000 रू0 में से 5100–5100 रू0 की ग्राम पंचायत की रसीद कटवाने के लिये कहना तथा रिश्वत राशि 30 हजार रू0 आज दिनांक 11.05.2023 को देने के लिये परिवादी कहना पाया गया। चूंकि संदिग्ध आरोपी ने परिवादी को रिश्वत की राशि लेकर आज ही बुलाया है इसलिये संदिग्ध आरोपी के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही शीघ्र की जानी है तथा रिश्वत मांग सत्यापन के समय की उक्त रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करने में समय अधिक लगेगा। अतः समय अभाव के कारण रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डशुदा वार्ताओं की अभी ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार नही की जा सकती। इसलिए रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा सुरक्षित अपने कब्जे में लिया गया। उक्त की ट्रेप कार्यवाही के दौरान बाद में ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जावेगी।

समय 09.00 ए0एम0 पर दोनो गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री आकाश गोयल को संदिग्ध आरोपी श्री मुन्ना लाल, पटवारी, पटवार हल्का मायापुर, तहसील टपूकडा, जिला अलवर व अन्य को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी श्री आकाश गोयल ने अपने पास से 500–500 रूपये के 60 नोट कुल 30,000/–रूपये निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये। जिनके नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी व सुपुदर्गी नोट में अंकित किया गया। श्री रामसिंह कानि0 549 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर साफ अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 30,000/–रूपये के नोटों को रखकर उक्त नोटों पर श्री रामसिंह कानि0 549 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री आकाश गोयल की जामा तलाशी गवाह श्री हेमन्त कुमार सैनी से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल एवं गाडी की चॉबी ही रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नम्बरी नोट 30,000/– रूपये को श्री रामसिंह कानि0 549 से परिवादी श्री आकाश गोयल की पहनी हुई पेन्ट की बगल की बांयी साईड की जेब में रखवाया गया। श्री रामसिंह कानि0 549 से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। उसके पश्चात एक कांच के गिलास में श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50 से साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री रामसिंह कानि0 549 की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी श्री आकाश गोयल व दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटों को छुयेगें तो उनके हाथों में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उनके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उन्होने रिश्वती राशि को अपने हाथों से प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री आकाश गोयल को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस–पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन–देन को देखने का प्रयास करें। तत्पश्चात श्री रामसिंह कानि0 549 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैपबाक्स में रखी खाली शीशीयां मय ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। वक्त लेन–देन के

समय आरोपित से होने वाली वार्ता को टेप करने हेतु विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मैंक सोनी कम्पनी जिसमें दिनांक 10.05.2023 की रिश्वत मांग सत्यापन के समय की रिकार्डशुदा वार्ताओं का एस. डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगा हुआ है, को चालू व बंद करने की विधि समझाकर परिवादी श्री आकाश गोयल को सुपुर्द किया गया तथा श्री महेश कुमार कानि0 462 को परिवादी के उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करने की हिदायत दी गई। जिसकी पृथक से फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात समय 09.35 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द मय स्वतन्त्र गवाह श्री बाबूलाल इलेक्ट्रीशियन–प्रथम, श्री हेमन्त कुमार सैनी, इलेक्ट्रीशियन–द्वितीय एवं ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्यो को मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर साथ लेकर एक प्राईवेट वाहन में बैठाकर तथा परिवादी श्री आकाश गोयल एवं श्री महेश कुमार कानि0 462, श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50, श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 को परिवादी की कार में बैठाकर हमराह लेकर वास्ते ट्रैप कार्यवाही बजानिब टपूकडा, जिला अलवर के लिये रवाना हुआ तथा श्री रामसिंह कानि0 549 को मुनासिब हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय में ही छोडकर गया था। उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा समय 11.05 ए0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के कस्बा टपूकडा में नाईवाडा स्थित आरोपी पटवारी के किराये के कार्यालय/कमरे के पास पहुंचा। जहॉ पर दोनों वाहनों को गली में साईड में खडा करवाकर सभी को वाहनों से उतार कर समय 11.06 ए0एम0 पर श्री महेश कुमार कानि0 462 से परिवादी का टेपरिकार्डर चालू करवाकर परिवादी श्री आकाश गोयल को संदिग्ध आरोपी श्री मुन्ना लाल, पटवारी, पटवार हल्का मायापुर, तहसील टपूकडा, जिला अलवर के पास उसके किराये के कार्यालय / कमरे के लिये रवाना किया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्यों के संदिग्ध आरोपी श्री मुन्ना लाल पटवारी के किराये के कार्यालय/कमरे के आस–पास ही मौका अनुसार अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ।

समय 11.15 ए.एम. पर परिवादी श्री आकाश गोयल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गोयल, निवासी टपुकडा, जिला अलवर ने नाईवाडा कॉलोनी मे स्थित एक मकान जिसमे उत्तर दिशा की तरफ बाहर की ओर रोड पर खुलते हुये एक कमरा जिसके दरवाजे पर चिपके हुये कागज पर कम्प्यूटर से पटवारी मायापुर मोबाईल नं. मोबाईल नं. 9982123828 लिखा हुआ है, उस कमरे मे से बाहर निकल कर अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वती राशि देने का निर्धारित ईशारा किया। जिसको मन् पुलिस निरीक्षक एवं उक्त दोनो गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों ने देखा। परिवादी का निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक उपरोक्त दोनो मौतविरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर परिवादी के पास पहुँचा। जहॉ पर परिवादी से ब्यूरो का राजकीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को प्राप्त करके बंद कर अपने कब्जे लिया। तब परिवादी ने उक्त कमरे के गेट को लॉक कर बाहर जाते हुये एक नवयुवक की तरफ ईशारा करके बताया कि यही श्री मुन्ना सिंह पटवारी, पटवार हल्का मायापुर है, जिन्होने अभी अभी मेरे से अपने उक्त प्राईवेट कार्यालय के अन्दर अपनी मांगानुसार दिनांक 10.5.2023 को तय की गई 30 हजार रूपये की रिश्वती राशि जिसमे 500–500 रू. के पाऊडर लगे 60 नोटो को दिया तो उसने अपने दाहिने हाथ से लेकर नोटो को गिनने लग गया, तब मैने इनको कहा कि आप इस बारे मे तहसीलदार जी से भी बात करलो कही वो बाद मे दिक्कत करे, इस पर इन्होने कहा कि मै तहसीलदार से बात नही करूंगा आपका काम हो जायेगा, मुझे अभी सी.एम. साहब की मिटिंग के चक्कर मे तहसील जाना है। जिस पर मै उक्त कमरे से बाहर आ गया और आपको ईशारा कर दिया।

इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, दोनो गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ सहित उक्त कमरे के सामने रोड पर जाते हुये उस नवयुवक के पास गया और उस नवयुवक को अपना एवं हमराहियान का परिचय देते हुये अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराया तो उसके चेहरे की हवाईयां उड गयी और वह कुछ नही बोला। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त नवयुवक को तस्सली देकर पुनः उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम–पता श्री मुन्नासिंह पुत्र श्री जयलाल सिंह, जाति अहीर, उम्र 35साल, निवासी मतलवास, तहसील कोटकासीम, जिला अलवर हाल पटवारी हल्का मायापुर, तहसील टपूकडा जिला अलवर होना बताया। जिससे परिवादी श्री आकाश गोयल से अभी ग्रहण की गई तीस हजार रूपये की रिश्वत राशि के बारे मे पूछा तो पहले तो कुछ नही बोला और फिर उसने हाथ जोडकर कहा कि साहब गलती हो गई माफ कर दो। इस पर उक्त आरोपी पटवारी को तस्सली देकर पुनः रिश्वत राशि कहां है, के बारे मे पूछा तो उसने कहा कि मेरे पास अभी कोई रिश्वत राशि नही है। अभी अभी इस आकाश गोयल ने मुझे 500–500 रूपये के कुछ नोट दिये थे, जिनको मैने अपने दाहिने हाथ से लेकर उन नोटो को उक्त कमरे मे रखी हुई मेरी टेबल की दराज मे रखे है, जो राशि अभी वही पर रखी हुई है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने दोनो गवाहान के सामने उक्त पटवारी श्री मुन्ना सिंह से उसके कमरे का लॉक उसके पास रखी हुई चाबी से खुलवाया। उसके बाद मे मन् पुलिस निरीक्षक, उक्त आरोपी पटवारी, दोनो गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ को हमराह लेकर उक्त कमरे के अन्दर गया। जहाँ पर उक्त दोनो गवाहान के समक्ष पूछने पर बताया कि इस आकाश गोयल के दो रजिस्ट्री एवं तीन रहन मुक्त के नामान्तकरण दर्ज करने हेतु इसने अपने कागजात परसो दिये थे। जिसमे से मेरे द्वारा तीनो रहनमुक्त के नामान्तकरण खोल दिये तथा एक रजिस्ट्री का नामान्तकरण भी मेरे द्वारा कल भरकर

गिरदावर (कानूनगो) वृत टपुकडा की साईट पर ऑन लाईन फॉरवर्ड कर दिया है तथा एक बेचान की रजिस्ट्री का नामान्तकरण अभी भरने का कार्य मेरे पास शेष है, जो रहनमुक्त लॉक होने पर भरा जावेगा। कल दिनांक 10.5.2023 को यह आकाश गोयल मेरे पास इस कमरे पर आया था, तब मैने इससे इनके उक्त पांचों (तीन रहनमुक्त एवं दो बेचान की रजिस्ट्री के) नामान्तकरण भरकर उन्हे स्वीकृत करवाने की एवज मे मेरे द्वारा इनसे तीस हजार रूपये अपने स्वंय के लिये मांगे थे, जो राशि इसने अभी अभी मुझे दी है और उक्त तीस हजार रूपये की राशि को मैने अपने दाहिने हाथ से ही अपनी टेबल की दाहिनी साईड की ऊपर की दराज मे रखी है, जो अभी उसी मे रखी हुई है। इस पर उक्त आरोपी पटवारी से पूछा गया कि क्या अभी आपको परिवादी द्वारा दिये गये पांचो नामान्तकरणों के दस्तावेजो के आधार पर उनका नामान्तकरण खोलने के लिये कोई राजकीय फीस/शुल्क इत्यादि लिया जाना था। इस पर आरोपी पटवारी ने बताया कि अभी मुझे इस आकाश गोयल से कोई राजकीय फीस नही लेनी थी बाद मे तहसील कार्यालय से वसूली आने पर इनकी राजकीय फीस वसूल की जावेगी। आरोपी पटवारी से पूछा गया कि आपने अभी जो रिश्वत राशि प्राप्त की है उसमे किस किस का कितना कितना हिस्सा है तो इस पर आरोपी पटवारी ने कहा कि उक्त राशि मैने अपने स्वंय के लिये रिश्वत मे ली है। इसमे से किसी भी अधिकारी को कोई राशि नही दी जानी थी। इस पर उक्त आरोपी पटवारी से पूछा गया कि आपने कल रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से अपने गिरदावर(कानूनगो) एवं तहसीलदार के नाम से भी रिश्वत की मांग की गई थी। इस पर आरोपी पटवारी ने बताया कि मैने अपने स्वंय के लिये ही ज्यादा रिश्वत राशि लेने हेतु ही उनका नाम ले लिया था। जबकि उनसे मेरी इस संबंध मे कोई बात नही हुई है। आरोपी पटवारी से पूछा गया कि उक्त नामान्तकरण की फीस की राशि पंचायत मे किसके द्वारा जमा कराई जाती है। जिस पर आरोपी ने बताया कि संबंधीत पार्टी द्वारा ही जमा कराई जाती है, उसमे पटवारी का कोई रोल नही होता है, परन्तु इसने मुझे अभी जो रिश्वत राशि दी है, उसमे से ग्राम पंचायत मे दो रजिस्ट्री के नामान्तकरण की राशि जमा करवाने हेतु कहा था, जो मै इसमे से 5100 रूपये प्रति रजिस्ट्री के हिसाब से कुल दस हजार दो सौ रूपये ग्राम पंचायत मे जमा कराता। मैने उक्त कमरा श्री लेखराम पुत्र श्री तुलसी राम शर्मा से किराये पर पटवार हल्का कार्यालय हेतु किराये पर लिया हुआ है।

इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी पटवारी श्री मुन्ना सिंह द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों के बारे मे दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी श्री आकाश गोयल से पूछा तो उसने आरोपी पटवारी के उक्त कथनो के क्रम मे बताया कि मैनें एवं मेरे पार्टनर भुवनेश कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार गर्ग निवासी टपुकडा ने ग्राम दागंनहेडी की आराजी खसरा नं. 525/451 रकबा 0.75 हैक्टर मे से श्री हरिओम दत्तक पुत्र लीलाधर का सम्पूर्ण हिस्सा 2150/7500 यानि 0.2150 हैक्टर को जरिये रजिस्ट्री दिनांक 24.6.2022 को एवं ग्राम मायापुर मे आराजी खसरा नं. 297 रकबा 0.53 हैक्टर के सम्पूर्ण हिस्से को जरिये रजिस्ट्री दिनांक 5.4.2023 को क्रय किया था। जिनकी रजिस्ट्रीयां मैने नामान्तकरण खुलवाने हेतु इस श्री मुन्ना सिंह हल्का पटवारी मायापुर को करीबन 15 दिन पहले को नामान्तकरण खुलवाने हेतु दी थी। इसके साथ ही उक्त ग्राम मायापुर की आराजी के संबंध मे पंजाब नेशनल एवं एसबीआई बैंक से जारी किये हुये नो ड्यूज की प्रतियां भी रहनमुक्त का नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु दिया था। इनके द्वारा नामान्तकरण नही खोलने पर मै इनसे दो तीन बार मिला तो इन्होने अपने दलाल रमन यादव से मिलने के लिये कहा। परन्तु मैने रमन यादव से बात नही कर इनसे खुद से ही बात की तो इन्होने मेरे से अपने स्वंय के लिये 15,000 रू. रिश्वत की मांग की तथा तहसीलदार एवं गिरदावर (कानूनगो) के अलग से देने को कहा। मै इनको मेरे जायज काम के बदले मे रिश्वत नही देना चाहता था और उसे रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता था। इसलिये मैने इस संबंध मे आपको शिकायत की थी। जिस पर आपने कल दिनांक 10.5.2023 को श्री महेश कुमार के साथ टेप देकर मुझे इनके पास भेजा तब मै इनके पास इसी कमरे पर आया तो इन्होने मेरे से 30,000 रूपये रिश्वत की मांग की, जिसमे इन्होने कहा कि 10 हजार रू. तो तहसीलदार टपुकडा को देने है तथा 05 हजार रूपये टपुकडा गिरदावर (कानूनगो) को देने है एवं 10 हजार रूपये ग्राम पंचायत मे जमा करवाने है बाकी के मेरे है। मै जब इनसे मिलने आया तब इनका एक दलाल श्री रमन यादव मेरे को इनके कमरे के बाहर खडा मिला, जिसने मेरे से मेरे नामान्तकरण संबंधी काम को उक्त पटवारी जी से करवाने के लिये तीस हजार रूपये रिश्वत की मांग की तथा बाद मे मेरे साथ ही इन पटवारी के पास जाकर भी उसने इनके सामने ही मेरे से मेरे इन कामो के तीस हजार रूपये पटवारी जी को रिश्वत मे देने के लिये कहा था। मैने मेरे एवं उक्त पटवारी तथा रमन के मध्य जो कल बाते हुई थी। उनको अपने पास रखे हुये आपके विभाग के टेप मे रिकॉर्ड कर लिया था तथा बाहर मैने उक्त टेप श्री महेश कुमार को दे दिया था, जिन्होने बंद कर अपने पास रख लिया था। पटवारी द्वारा कल दिनांक 10.5.2023 को मेरे से मेरे नामान्तकरणो के लिये मांगी गई तीस हजार रूपये की रिश्वत राशि के पाऊडर लगे नोटो को लेकर इनके पास इस कमरे मे आया। मैने इनको इनके द्वारा दिनांक 10.5.2023 को मांगकर तय की गई तीस हजार रूपये की रिश्वत राशि दी तो इन्होने मेरे से 30 हजार रूपये की रिश्वती राशि के पाऊडर लगे नोटो को अपने दाहिने हाथ से लेकर नोटो को गिनने लग गया तब मैने इनको कहा कि आप इस बारे मे तहसीलदार जी से भी बात करलो कही वो बाद मे दिक्कत करे, इस पर इन्होने कहा कि मै तहसीलदार से बात नही करूंगा आपका काम हो जायेगा, मुझे अभी सी.एम. साहब की मिटिंग के चक्कर मे तहसील जाना है। जिस पर मै उक्त कमरे से बाहर आ गया और आपको ईशारा कर दिया।

4

इस पर आरोपी पटवारी से पूछा गया कि यह रमन यादव कौन है तो उसने कहा कि मै रमन यादव को नही जानता हूँ। कल दिनांक 10.5.2023 को जब यह आकाश मेरे पास आया था, उससे पहले ही रमन यादव मेरे पास इनके काम के लिये आया था, जिसको भी मैने इनसे तीस हजार रूपये दिलवाने को कहा था और रमन ने मेरे सामने ही इनको अपने कामो को करने की एवज मे मुझे तीस हजार रूपये देने हेतु बताया था। रमन यादव मेरे मिलने वाले पटवारियों का मिलने वाला है, परन्तु मै उसको अच्छी तरह से नही जानता हूँ। यह सही है कि वह तहसील टपुकडा मे तहसीलदार एवं अन्य कर्मचारियो के पास आता जाता रहता है।

मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त कार्यालय मे रखी हुई पीने की एक साफ बोतल मे भरे हुये साफ पानी से ट्रैप बाक्स से दो साफ काँच के गिलास निकालकर उन्हे हाजरीन के समक्ष उक्त साफ पानी एवं साबून से पुनः धुलवाकर साफ करवाया गया। तत्पश्चात उक्त दोनो गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक गिलास के घोल में आरोपी श्री मुन्ना सिंह के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा –आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट वस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R -1, R -2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री मुन्ना सिंह के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L -1, L - 2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया।

तत्पश्चात आरोपी श्री मुन्ना सिंह से रिश्वत राशि के बारे मे पूछा गया तो उसने अपने उक्त कमरे मे रखी हुई टेबल की दाहिनी साईड की ऊपरी दराज मे रखी हुई होना बताया। इस पर आरोपी श्री मुन्ना सिंह की निशादेही पर गवाह श्री बाबू लाल से श्री मुन्ना सिंह के कमरे मे रखी हुई टेबल की दाहिनी साईड की ऊपरी दराज की तलाशी लिवाई गई तो उक्त गवाह ने टेबिल की दाहिनी साईड की ऊपरी दराज मे 500–500 रूपये के मुडे हुये नोट एक कागज पर रखे हुए होना बताया। इस पर उक्त गवाह ने नोटो को उक्त कागज सहित दराज मे से निकाले जिनको उक्त गवाह से गिनवाये गये तो उसने उक्त नोटो मे 500 – 500 रूपये के 60 नोट कुल तीस हजार रूपये होना बताया। इस पर दोनो गवाहान से उक्त बरामदशुदा नोटो के नम्बरो का पूर्व की तैयार की हुई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाने पर दोनो गवाहान ने नोटो के नम्बरो का हूबहू मिलान होना बताया। उक्त नोटो को प्रार्थना पत्र सहित गवाह बाबू लाल के पास रखवाया।

मौके पर कार्यवाही हेतु उपयुक्त स्थान एवं लाईट इत्यादि की माकुल व्यवस्था नही होने के कारण मन्पुलिस निरीक्षक ने उक्त लिये गये धोवन के सैम्पलों का सुरक्षित हालात मे ट्रेप बॉक्स मे रखकर उसे अपने हमराह लेकर एवं आरोपी पटवारी श्री मुन्ना सिंह से उसके उक्त कमरे का लॉक बंद करवाकर उसकी चाबी आरोपी पटवारी के पास ही रखवाकर उक्त आरोपी श्री मुन्नासिंह पटवारी, दोनो गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने साथ लेकर आये प्राईवेट वाहन मे बैठाकर तथा परिवादी एवं ब्यूरो के स्टाफ को अन्य वाहन सहित हमराह लेकर उक्त घटना स्थल से समय 11.40 ए.एम. पर अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसील कार्यालय टपुकडा जाने हेतु रवाना हुआ।

उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् ट्रेप अधिकारी मय हमराहियान के समय 12.05 पी.एम. पर तहसील कार्यालय टपुकडा पहुंचकर उप पंजीयन शाखा के कमरे मे उक्त आरोपी पटवारी श्री मुन्ना सिंह, दोनो गवाहान एवं परिवादी को बैठाया गया। तहसीलदार टपुकडा के उपस्थित नही मिलने पर उसके बारे मे उपस्थित स्टाफ से मालुमात करने पर उनका कार्यालय मे उपस्थित नही होना बताया। अग्रिम कार्यवाही शुरू की जाती है।

मौके पर आरोपी श्री मुन्ना सिंह के कमरे मे रखी हुई टेबल की दाहिनी साईड की ऊपरी दराज मे से बरामद शुदा 500–500 रूपये के 60 नोट कुल तीस हजार रूपये एक प्रार्थना पत्र पर रखे हुये बरामद हुये थे, जिनको मौके पर गवाह बाबू लाल के पास रखवाया था, उन नोटो को पेश करने हेतु गवाह श्री बाबूलाल से कहा गया तो उसने 500–500 रूपये के 60 नोट कुल राशि तीस हजार रूपये के बरामदशुदा नोटो के नम्बरो का पूर्व की तैयार की हुई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरो से पुनः दोनो गवाहान से मिलान करवाने पर दोनो गवाहान ने नोटो के नम्बरो का हूबहू मिलान होना बताया जाने पर नोटो का विवरण फर्द मे अंकित करवाकर बरामदशुदा रिश्वत राशि जिस कागज पर रखी हुई थी उसका अवलोकन किया गया तो एक प्रार्थना पत्र जिस पर श्रीमान तहसीलदार साहब, आवेदक का नाम, पिता का नाम सहित. अन्य बिन्दू टाईप किये हुये है जिनके सामने हस्तलेख मे जैसे प्रथम बिन्दु मे अकबर खान S/o जुहरू खान लिखा हुआ तथा 1से 5 तक के बिन्दुओ की पूर्ति की हुई

है, जिस पर दिनांक 28.4.2023 अंकित होकर अंग्रेजी मे Akbar लिखकर हस्ताक्षर किये हुये है तथा जिस पर मार्किंग मे L.R. लिखकर हस्ताक्षर किये हुये है तथा दिनांक 28.4.2023 अंकित की हुई है। जिसके पुश्त पर भी पृष्ठांकन किया हुआ है तथा उसके संलग्न ग्राम दागंनहेडी के खाता संख्या नया 120 की जमाबंदी की नकल लगी हुई है।

तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स से एक अन्य साफ कांच का गिलास निकाल कर उक्त गिलास को साफ पानी एवं साबून से साफ करवाकर उसमे साफ पानी भरकर उनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। ट्रेप बॉक्स से एक साफ रूई का फौवा निकाल कर उस रूई के फौवे को उक्त गिलास के घोल मे डूबोकर दिखाया गया तो गिलास के घोल का रंग परिवर्तन नही होना हाजरीन ने स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त रूई के फौवे को जिस प्रार्थना पत्र पर जिसमे इबारते लिखी हुई है उस तरफ जहां रिश्वत राशि रखी हुई बरामद हुई थी, उस पर उक्त रूई के फौवे को फिराकर रूई के फौवे को गिलास के घोल मे डूबोकर उसका धोवन लिया गया तो कागज के धोवन का रंग गुलाबी हुआ। जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क TRP -1, TRP - 2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात उक्त प्रार्थना पत्र को सुखाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त प्रार्थना पत्र की एक फोटो प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित श्री अजीत सिंह पटवारी तहसील कार्यालय टपुकडा को दी जाकर दूसरी फोटो प्रति पर उससे रसीद प्राप्त कर शामिल कार्यवाही किया गया तथा तथा मूल प्रार्थना पत्र मे बरामदशुदा रिश्वत राशि के नोटो को रखकर उक्त बरामदशुदा तीस हजार रूपये एवं प्रार्थना पत्र को कागज के लिफाफे मे रखकर उक्त लिफाफे पर मार्क TM अंकित कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर लिफाफे को सील्ड कर वजह सबूत कब्जे पुलिस लिया गया। साथ ही रूई के फौवे को सुखाकर उसे एक कपडे की थैली मे रखकर सील्डबंद कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R से चिन्हित किया जाकर कब्जे एसीबी लिया गया।

उक्त आरोपी श्री मुन्ना सिंह पटवारी को परिवादी के नामान्तकरण से संबंधित दस्तावेजो के बारे मे पूछा गया तो उसने दस्तावेज अपने कमरे पर ही होने तथा उसका नामान्तकर सं. 956 रहन मुक्त का तथा नामान्तकरण सं. 1387 बेचान का अपने द्वारा कल दिनांक 10.5.2023 को भरकर अग्रिम कार्यवाही हेतु अपने गिरदावर (कानूनगो) टपुकडा की साईट पर ऑन लाईन फारवर्ड करने बाबत बताया। मूल रिकॉर्ड की जब्ती अलग से की जावेगी। तहसील कार्यालय की भू–अभिलेख शाखा मे मौजूदा पटवारी श्री अजीत सिंह पटवारी हल्का गुवाल्दा को नामान्तकरण की कार्यवाही बाबत दस्तावेज पेश करने हेतु कहा तो उसने आर. पी. जी. शाखा के कम्प्यूटर से उक्त दोनो नामान्तकरणों से संबंधित दस्तावेज निकाल कर पेश किये जिनके अवलोकन से उक्त दोनो नामान्तकरण दिनांक 10.5.2023 को आरोपी पटवारी द्वारा अपने स्तर से भरकर अग्रिम कार्यवाही हेतु गिरदावर (कानूनगो)को प्रेषित किया जाना एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु गिरदावर(कानूनगो) , तहसीलदार स्तर पर प्रक्रियाधीन होना पाया गया। उक्त दोनो दस्तावेजो की प्रतियों को श्री अजीत सिंह पटवारी से प्रमाणित करवाकर उन पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किया गया तथा ग्राम मायापुर की आराजी खसरा नं. 297 की क्रय की गई भूमि का आरोपी पटवारी द्वारा अभी तक नामान्तकरण नही भरना पाया गया है।

परिवादी से पूर्व में प्राप्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो उसमे रिश्वत राशि लेन–देन के समय की वार्तालाप रिकॉर्ड होना पाई गई जिसकी अलग से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं सी.डी. तैयार की जावेगी। परिवादी एवं आरोपी श्री मुन्ना सिंह को अलग – अलग एवं एक साथ करके आपसी कोई रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया होने या कोई आपसी रंजिश होने के बारे में पूछा गया तो दोनो ने कोई आपसी रंजिश या रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया नही होना बताया तथा पूछने पर आरोपी पटवारी ने परिवादी श्री आकाश गोयल या उसके परिजनो के विरुद्ध कोई राजकीय वसूली अपने पास बकाया नही होने के बारे मे बताया। जब्तशुदा आर्टीकल्स एवं ट्रेप बॉक्स श्री भौंरे लाल हैड कानि. को सुपुर्द कर उसे तहसील कार्यालय टपुकडा मे छोडकर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी श्री मुन्ना सिंह पटवारी को मय ब्यूरो जाप्ता सहित हमराह लेकर गये वाहनो मे बैठाकर परिवादी से संबंधी रिकॉर्ड को जब्त करने एवं घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार करने हेतु रवाना होकर नाईवाडा कॉलोनी टपुकडा स्थित श्री लेखराम पुत्र श्री तुलसी राम शर्मा के मकान मे किराये पर लिये हुये आरोपी के कमरे पर पहुंचा। उपरोक्त मौतबिरान एवं परिवादी के समक्ष आरोपी श्री मुन्ना सिंह पुत्र श्री जयलाल सिंह, पटवारी, पटवार हल्का मायापुर, तहसील टपूकडा जिला अलवर ने अपने प्राईवेट किराये का कार्यालय के बन्द लॉक को अपने पास रखी हुई चाबी से खोलकर उक्त कमरे मे दीवार मे बनी अलमारी मे राजस्व संबंधी कार्यालय के रिकॉर्ड मे से परिवादी के रहनमुक्त एवं बेचान संबंधी नामान्तकरण खोलने एवं बकाया होने के दस्तावेज पेश किये जिनको जरिये फर्द वजह सबूत कब्जे लिया गया। प्राप्त रिकॉर्ड के अवलोकन के आधार पर पाया गया कि पंजाब नेशनल बैंक शाखा चौपानकी जिला अलवर द्वारा Account Number (s) 7827008800000077 पर

श्री अख्तर और फकरूद्दीन निवासी म.नं. 35/2 मायापुर, तह. तिजारा जिला अलवर के नाम से जारी किये गये Certificate No: NDC/190910/2022-23/eOTS 22032303143031 4 Date 22-03-2023 एवं Account Number (s) 7827008800000086 पर श्री मुबारिक एवं तालीम निवासी मकान नं. 35/2 मायापुर, तहसील तिजारा जिला अलवर के नाम से जारी किये गये Certificate No : NDC/190910/2022-23/eOTS 220323031822173 Date 22-03-2023 तथा भारतीय स्टेट बैंक शाखा तिजारा रोड, टपुकडा शाखा कोड 31787 द्वारा KCC Account Number (s) 61318604363 पर श्री आश मौहम्मद पुत्र रोशन, निवासी मायापुर, टपुकडा, तिजारा, अलवर के नाम से से दिनांक 27.3.2023 को जारीशुदा तीनों NO Dues Certificate पर रहन मुक्त का नामान्तकरण सं. 956 तथा पंजीयन दस्तावेज सं. 202201111006237 दिनांक 24.06.2022 का बेचान का नामान्तकरण सं. 1387 दिनांक 10.01.2023 को भरकर अग्रिम कार्यवाही हेतु गिरदावर वृत टपुकडा को ऑन लाईन प्रेषित किये हुये होना तथा उक्त दोनो नामान्तकरण गिरदावर स्तर पर प्रक्रियाधीन होना तथा पंजीयन दस्तावेज सं. 202301111003246 से दिनांक 05.04.2023 का बेचान नामान्तकरण आरोपी पटवारी के पास दर्ज करना प्रस्तावित होना पाये गये। समय 4.00 पी.एम. पर परिवादी की निशादेही पर घटना स्थल निरीक्षण किया जाकर नक्शा मौका तैयार किया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के घटना स्थल से रवाना होकर तहसील कार्यालय टपुकडा आया। आरोपी पटवारी को समय 5.15 पी.एम. पर नियमानुसार जरिये फर्द जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित अधिनियम) 2018 एवं 120 बी भादंस. के तहत गिरफ्तार किया गया। उक्त आरोपी के दलाल श्री रमन यादव पुत्र श्री होशियार सिंह निवासी राठीवास (हरियाणा) की क्षेत्र मे ब्यूरो स्टाफ से तलाश करवाने पर उसकी अदम पतारसी रही।

तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री मुन्ना सिंह पटवारी, दोनो गवाहान, परिवादी एवं ब्यूरो स्टाफ सहित जब्तशुदा आर्टीकल्स, ट्रेप बॉक्स लैपटॉप इत्यादि सहित हमराह लेकर गये वाहनो से तहसील कार्यालय टपूकडा से समय 6.00 पी.एम. पर रवाना होकर समय 7.30पी.एम.पर कार्यालय आया। जहां पर आरोपी को ब्यूरो स्टाफ की निगरानी मे बैठाया।

तत्पश्चात समय 8.15पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक ने दोनो गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति मे दिनांक 10.5.2023 को परिवादी तथा आरोपी श्री मुन्नासिंह एवं श्री रमन यादव (प्राईवेट व्यक्ति) के मध्य रिश्वती मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर सूनाया एवं सूनकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता की सीडी बनवाने हेतु तीन खाली सीडी मंगवायी जाकर तीनों सी.डी. को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी – बारी से तीन सीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमशः तीनों सीडीयों पर मार्क **"ए–1"**, मार्क **"ए–2"** एवं मार्क **"ए–3"** अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क **"ए–1"** व मार्क **"ए–2"** को पृथक–पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपडे की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क **"ए–1"** व मार्क **"ए–2"** अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क **"ए–3"** को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 12.05.2023 को समय 12.30 ए.एम. पर दिनांक 11.05.2023 को रिश्वत लेन – देन के क्रम में परिवादी श्री आकाश गोयल एवं आरोपी श्री मुन्ना सिंह पटवारी के मध्य हुई रूबरू रिकार्ड शुदा वार्ताओं की भी उपरोक्त प्रक्रियानुसार फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई। उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को तीन खाली नई सी.डी. मे डाऊन लोड करवाकर सी.डी. तैयार करवाई गई। जिनमे से दो सी.डी. मार्क "बी–1" व मार्क "बी–2" को पृथक – पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे लिया गया तथा मार्क "बी–3" को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे मूल एस.डी. कार्ड **Sandisk 32 GB** के **फोल्डर नं. 01 मे** दिनांक 10.5.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम में हुई वार्ताऐं तथा **फोल्डर नं0 2 में** रिश्वत लेन–देन के क्रम में हुई वार्ताऐं रिकार्ड की हुई है। उक्त एस.डी. कार्ड **Sandisk 32 GB** को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड **Sandisk 32 GB** को उसमे लिपेट कर एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर उस पर मार्क **S** अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे एस.डी माईक्रो कार्ड मे रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की सी.डी. एवं फर्द तैयार करवाते समय उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छांट नही की गई है। उपरोक्त रिश्वत मांग सत्यापन एवं लेन–देन की रिकॉर्ड वार्ताओ मे परिवादी श्री आकाश गोयल द्वारा अपनी व आरोपी श्री मुन्ना सिंह पटवारी एवं इनके दलाल श्री रमन यादव की आवाज मे वार्तालाप होने की पहचान तथा उक्त वार्तालाप स्वंय परिवादी द्वारा राजकीय रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करके लाने की ताईद की है।

[redacted]

बाद कार्यवाही उक्त कार्यवाही मे उपयोग ली गई ब्राशसील नं. 45 का नमूना फर्द पर अंकित किया जाकर उक्त ब्राशसील को रूबरू मौतबिरान तुडवाकर नष्ट किया गया। उक्त कार्यवाही मे जब्तशुदा रिश्वत राशि के सील्डबंद लिफाफा, धोवन के सिल्डबंद सैम्पलो, सील्ड सी.डी. एवं माईक्रो एस.डी. कार्ड पैकिट, रूई पैकिट, इत्यादि को श्री भौंरे लाल हैड कानि. 33 से जमा मालखाना करवाकर परिवादी एवं दोनो गवाहान एवं अन्य को आवश्यक हिदायत देकर दिनांक 12.05.2023 को समय 6.00 ए.एम. पर कार्यालय से रवाना किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष परिवादी श्री आकाश गोयल की लिखित रिपोर्ट दिनांक 10.5.2023 पर नियमानुसार अग्रिम ट्रैप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री मुन्नासिंह, पटवारी हल्का मायापुर, तहसील टपूकडा जिला अलवर द्वारा बहैसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुये अपने पदीय कर्त्तव्यो मे भ्रष्टतम आचरण अपना कर परिवादी आकाश गोयल से उसके द्वारा ग्राम मायापुर, तहसील टपुकडा, जिला अलवर मे स्थित आराजी खसरा नं. 297 रकबा 0.53 हैक्टर को श्री अखतर पुत्र श्री अली मोहम्मद निवासी ग्राम मायापुर सहित कुल 11 खातेदारान के सम्पूर्ण हिस्सा की भूमि को जरिये पंजीयन दस्तावेज सं. 202301111003246 से दिनांक 05.04.2023 को एवं ग्राम दांगनहेडी, तहसील टपुकडा, जिला अलवर मे स्थित आराजी खसरा नं. 525/451 रकबा 0.75 हैक्टर बारानी 02 मे से श्री हरिओम दत्तक पुत्र लीलाधर, निवासी ग्राम टपूकडा, के सम्पूर्ण हिस्सा मे से 2150/7500 हिस्सा यानि 0.2150 हैक्टर भूमि को जरिये पंजीयन दस्तावेज सं. 202201111006237 से दिनांक 24.06.2022 को परिवादी श्री आकाश गोयल एवं उसके पार्टनर श्री भुवनेश कुमार गर्ग द्वारा क्रय की गई थी, जिसके बेचान का नामान्तकरण परिवादी एवं उसके पार्टनर श्री भुवनेश कुमार गर्ग के नाम से तथा पंजाब नेशनल बैंक शाखा चौपानकी जिला अलवर द्वारा Account Number (s) 7827008800000077 पर श्री अख्तर और फकरूद्दीन निवासी म.नं. 35/2 मायापुर के नाम से एवं Account Number (s) 7827008800000086 पर श्री मुबारिक एवं तालीम निवासी मकान नं. 35/2 मायापुर के नाम से तथा भारतीय स्टेट बैंक शाखा तिजारा रोड, टपुकडा शाखा कोड 31787 द्वारा KCC Account Number (s) 61318604363 पर श्री आश मौहम्मद पुत्र रोशन, निवासी मायापुर, टपुकडा, तिजारा, अलवर के नाम से दिनांक 27.3.2023 को जारीशुदा तीनों NO Dues Certificate पर रहन मुक्त का नामान्तकरण राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करने की एवज मे रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 10.5.2023 को आरोपी पटवारी श्री मुन्ना सिंह द्वारा अपने स्वंय एवं अपने उच्चाधिकारियों के नाम से कुल 30 हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना तथा रिश्वत राशि दिनांक 11.5.2023 को लाकर देने हेतु परिवादी को कहना तथा तदुपरान्त आरोपी द्वारा तीनो नो–ड्यूज के आधार पर रहन मुक्त का तथा ग्राम दागनहेडी मे क्रय की गई भूमि का बेचान का नामान्तकरण सं. 1387 अपने द्वारा दिनांक 10.5.2023 को भरकर अग्रिम कार्यवाही हेतु अपने गिरदावर (कानूनगो) टपुकडा की साईट पर ऑन लाईन फारवर्ड करना एवं अपनी उक्त मांग के क्रम मे दिनांक 11.05.2023 को परिवादी श्री आकाश गोयल से तीस हजार रूपये रिश्वत अपने दाहिने हाथ से ग्रहण कर उसे अपने दोनो हाथो से गिनकर अपनी टेबल की दाहिनी साईड की ऊपरी दराज मे रखना एवं दौराने ट्रेप कार्यवाही प्राप्त की गई तीस हजार रूपये की रिश्वत राशि आरोपी की निशादेही पर उसकी टेबल की ऊपरी दराज में से बरामद होना एवं आरोपी के दोनों हाथों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी एवं टेबल की दराज मे जिस प्रार्थना पत्र पर रिश्वत राशि रखी हुई थी, के धोवन का रंग गुलाबी होने से तथा आरोपी पटवारी द्वारा दिनांक 10.05.2023 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन अपने समक्ष ही दलाल श्री रमन यादव पुत्र होशियार सिंह निवासी राठीवास (हरियाणा) के माध्यम से भी तीस हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग अपने स्वयं, कानूनगो एवं तहसीलदार के लिये करने / करवाने से आरोपी पटवारी श्री मुन्ना सिंह तथा दलाल श्री रमन यादव पुत्र श्री होशियार सिंह, निवासी राठीवास (हरियाणा) का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 के तहत प्रथम दृष्टया कारित होना पाया गया है।

अतः आरोपी **श्री मुन्नासिंह पुत्र श्री जयलाल सिंह, जाति अहीर, निवासी मतलवास, तहसील कोटकासीम, जिला अलवर हाल पटवारी हल्का मायापुर, तहसील टपूकडा जिला अलवर एवं इनके दलाल श्री रमन यादव पुत्र श्री होशियार सिंह निवासी राठीवास (हरियाणा) हाल आबाद 704 क्रिश वाटिका, पावर हाऊस के पास, अलवर बाईपास भिवाडी, जिला अलवर** के विरूद्ध उपरोक्त धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 बी भादसं. मे बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर की सेवामे सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(प्रेमचन्द)

पुलिस निरीक्षक

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

अलवर प्रथम, अलवर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर-प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री मुन्नासिंह, पटवारी हल्का मायापुर, तहसील टपूकडा, जिला अलवर एवं 2. श्री रमन यादव पुत्र श्री होशियार सिंह (प्राईवेट व्यक्ति) निवासी राठीवास (हरियाणा) हाल आबाद 704 क्रिश वाटिका, पावर हाऊस के पास, अलवर बाईपास भिवाडी, जिला अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 117/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

12.5.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 881-84 दिनांक 12.5.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. जिला कलक्टर, अलवर।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर।

12.5.23
पुलिस अधीक्षक प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।